

**Sample Preview
of the
Solved
Sample Question
Papers**

Published by:



**NEERAJ
PUBLICATIONS**

www.neerajbooks.com



NEERAJ®

सामाजिक नीतियाँ और प्रशासन

(Social Policies and Administration)

B.P.A.E.- 144

**Chapter Wise Reference Book
Including Many Solved Sample Papers**

Based on

C.B.C.S. (Choice Based Credit System) Syllabus of

I.G.N.O.U.

& Various Central, State & Other Open Universities

By: Sanjay Jain



**NEERAJ
PUBLICATIONS**

(Publishers of Educational Books)

Mob.: 8510009872, 8510009878 E-mail: info@neerajbooks.com

Website: www.neerajbooks.com

MRP ₹ 280/-

Content

सामाजिक नीतियाँ और प्रशासन (Social Policies and Administration)

Question Paper—June-2024 (Solved)	1
Question Paper—December-2023 (Solved)	1
Question Paper—June-2023 (Solved)	1
Question Paper—December-2022 (Solved)	1
Question Paper—Exam Held in July-2022 (Solved)	1
Sample Question Paper-1 (Solved)	1
Sample Question Paper-2 (Solved)	1

<i>S.No.</i>	<i>Chapterwise Reference Book</i>	<i>Page</i>
--------------	-----------------------------------	-------------

सामाजिक नीति और प्रशासन : एक परिचय

(Social Policy and Administration: An Introduction)

1. सामाजिक नीति : अवधारणाएं, विशेषताएं, उद्देश्य, क्षेत्र	1
(Social Policy : Concept, Characteristics, Objectives, Scope)	

सामाजिक नीतियाँ तथा सामाजिक क्षेत्र में सतत विकास लक्ष्य

(Social Policies and Sustainable Development Goals in Social Sector)

2. गरीबी उन्मूलन (Poverty Alleviation)	13
3. खाद्य सुरक्षा (Food Security)	31
4. शिक्षा (Education)	41
5. स्वास्थ्य (Health)	58
6. आजीविका (रोजगार)	78
(Employment)	

<i>S.No.</i>	<i>Chapterwise Reference Book</i>	<i>Page</i>
--------------	-----------------------------------	-------------

विभिन्न संस्थानों की भूमिकाएँ (Role of Various Institutions)

7.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की भूमिका (Role of Ministry of Social Justice and Empowerment)	89
8.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (National Commission for Scheduled Caste and National Commission for Scheduled Tribes)	108
9.	विभिन्न संस्थानों की भूमिका : सामाजिक सुरक्षा के राष्ट्रीय संस्थान (Role of Various Institutions : National Institute of Social Defence)	118
10.	केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की भूमिका (Role of Central Social Welfare Board)	130
11.	नागरिक समाज (सिविल सोसायटी) की भूमिका : केस स्टडी (Role of Civil Society : Case Studies)	140

सामाजिक उद्यमिता (Social Entrepreneurship)

12.	सामाजिक उद्यमिता (Social Entrepreneurship)	148
-----	---	-----



QUESTION PAPER

June – 2024

(Solved)

सामाजिक नीतियाँ और प्रशासन
(Social Policies and Administration)

B.P.A.E.-144

समय : 3 घण्टे]

[अधिकतम अंक : 100

नोट : निम्नलिखित में से किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग से कम-से-कम दो प्रश्न अवश्य कीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

भाग-I

प्रश्न 1. सामाजिक नीति की अवधारणा, इसकी विशेषताओं, उद्देश्यों, लक्ष्यों, मॉडलों और कार्य-क्षेत्र की व्याख्या कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-1, पृष्ठ-1, 'सामाजिक नीति की अवधारणा', 'सामाजिक नीति के लक्ष्य एवं कार्य', पृष्ठ-2, सामाजिक नीति के क्षेत्र', 'सामाजिक नीति का उद्देश्य'

प्रश्न 2. भारत में गरीबी से निपटने के लिए निर्धारित तरीकों पर एक टिप्पणी लिखिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-2, पृष्ठ-18, प्रश्न 1, पृष्ठ-20, प्रश्न 2

प्रश्न 3. भारत में लोक वितरण प्रणाली का मूल्यांकन कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-3, पृष्ठ-37, प्रश्न 3

प्रश्न 4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के प्रावधानों और कुछ चुनिंदा शिक्षण संस्थानों पर चर्चा कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-4, पृष्ठ-51, प्रश्न 6

भाग-II

प्रश्न 5. "भारत ने विभिन्न स्वास्थ्य पहलकदमियाँ की हैं।" चुनिंदा उदाहरणों के साथ विस्तृत कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-5, पृष्ठ-62, 'भारत की स्वास्थ्य पहलें'

प्रश्न 6. दीनदयाल अंत्योदय योजना और उसकी उपयोगिताओं की चर्चा कीजिए।

उत्तर-दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2023-24

तक ग्रामीण गरीब परिवारों की 10 करोड़ महिलाओं तक पहुँचना है। 31 जनवरी 2024 तक 9.98 करोड़ महिलाओं को 90.39 लाख स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित किया जा चुका है।

डीएवाई-एनआरएलएम को वर्ष 2011 से मिशन मोड में क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित करना तथा उन्हें आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए निरंतर पोषित और सहायता प्रदान करना है, जब तक कि वे समय के साथ आय में उल्लेखनीय वृद्धि प्राप्त न कर लें, ताकि उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो और वे घोर गरीबी से बाहर आ सकें। कार्यक्रम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक ग्रामीण गरीब परिवार से कम-से-कम एक महिला सदस्य को निश्चित समय सीमा के भीतर महिला एसएचजी और उनके संघों में शामिल किया जाए। वर्ष 2013-14 से महिला एसएचजी ने आय सृजन गतिविधियों को शुरू करने के लिए बैंकों से कुल मिलाकर 8.15 लाख करोड़ रुपये का ऋण लिया है।

यह मंत्रालय दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत एक उप-योजना के रूप में स्टार्ट-अप विलेज उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) को भी लागू कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों (एसएचजी) को गैर-कृषि क्षेत्रों में गांव स्तर पर उद्यम स्थापित करने में मदद करना है। स्टार्ट-अप पूंजी प्रदान करने के अलावा, उद्यमों को व्यवसाय सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए सामुदायिक संसाधन व्यक्ति-उद्यम संवर्धन (सीआरपी-ईपी) का एक केंद्र स्थापित किया गया है।

आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना (एजीईवाई) को अगस्त 2017 में डीएवाई-एनआरएलएम के उप-घटक के रूप में लॉन्च किया गया था, ताकि दूरदराज के ग्रामीण गांवों को जोड़ने के लिए सुरक्षित, सस्ती और सामुदायिक निगरानी वाली ग्रामीण परिवहन सेवाएं प्रदान की जा सकें।

2 / NEERAJ : सामाजिक नीतियाँ और प्रशासन (JUNE-2024)

इसके अलावा, यह मंत्रालय कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डीएवाई-एनआरएलएम के उप-घटक के रूप में महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी) को लागू कर रहा है। एमकेएसपी के तहत, दो क्षेत्रों में काम किया जाता है- टिकाऊ कृषि और गैर-लकड़ी वन उत्पाद (एनटीएफपी) गतिविधियाँ। पशुधन हस्तक्षेप को दोनों क्षेत्रों में एक सार्वभौमिक रणनीतिक हस्तक्षेप के रूप में लागू किया जा रहा है।

डीएवाई-एनआरएलएम ने बाजार संपर्क बढ़ाने के लिए मूल्य शृंखला विकास हस्तक्षेप बनाने पर महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। इसका उद्देश्य प्राथमिक उत्पादकों को उत्पादक संगठन बनाने से लेकर विपणन संपर्क बनाने तक के लिए संपूर्ण समाधान प्रदान करने के लिए एक संपूर्ण व्यवसाय मॉडल विकसित करना है।

पिछले तीन वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2022-23 के दौरान दीन दयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत निम्नलिखित योजनाएँ शुरू हुईं-

1. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)।
2. राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना (एनआरईटीपी), राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना (एनआरईटीपी) वर्ष 2019 में 13 उच्च गरीबी वाले राज्यों में शुरू हुई।
3. महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी)।
4. स्टार्ट अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी)।
5. ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई)।
6. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) आदि।

प्रश्न 7. सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के साथ काम करने वाले विभिन्न विभागों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-7, पृष्ठ-105, प्रश्न 9

प्रश्न 8. सामाजिक उद्यमिता और उसके आयामों और सामाजिक उद्यमियों की विशेषताओं को भी परिभाषित कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-12, पृष्ठ-149, 'सामाजिक उद्यमिता के आयाम', 'सामाजिक उद्यमियों की विशेषताएँ'

Sample Preview of The Chapter

Published by:



**NEERAJ
PUBLICATIONS**

www.neerajbooks.com

सामाजिक नीतियाँ और प्रशासन (Social Policies and Administration)

सामाजिक नीति और प्रशासन : एक परिचय (Social Policy and Administration: An Introduction)

सामाजिक नीति : अवधारणाएं, विशेषताएं, उद्देश्य, क्षेत्र (Social Policy : Concept, Characteristics, Objectives, Scope)



परिचय

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए नियोजित विकास का सहारा लेना आवश्यक समझा गया, क्योंकि यह अनुभव किया गया कि गरीबी, बेकारी आदि जैसी अनेक गंभीर सामाजिक समस्याएँ उचित विकास न होने के कारण ही हमारे समाज में व्यापक रूप से विद्यमान हैं। सामाजिक समस्याओं को और अधिक तेज करना तथा इससे होने वाले लाभों को आम जनता में न्यायपूर्ण ढंग से बाँटना आवश्यक समझा गया, इसलिए सरकार के लिए यह आवश्यक हो गया कि वह अपनी सामाजिक नीति को उचित रूप से निर्धारित कर लागू करें।

अध्याय का विहंगावलोकन

सामाजिक नीति की अवधारणा

सामाजिक नीति सामाजिक संरचना की कमियों को दूर करती है, असंतुलन को रोकती है तथा असंतुलन वाले क्षेत्र से इसे दूर करने का प्रयास करती है। गोखले के मत में सामाजिक नीति एक साधन है, जिसके माध्यम से आकांक्षाओं तथा उद्देश्यों को इस प्रकार विकसित किया जाता है कि सभी के कल्याण की वृद्धि हो सके। सामाजिक नीति द्वारा मानव एवं भौतिक दोनों प्रकार के संसाधनों में वृद्धि की जाती है, जिससे पूर्व सेवायोजन की स्थिति उत्पन्न होती है तथा निर्धनता दूर होती है।

कॉर्न के अनुसार, “नीति कथन उस ओढ़ने के वस्त्र के ताने-बाने के धागे हैं, जिनको पिरोकर वस्त्र तैयार होता है। यह सूक्ष्म ढाँचा होता है, जिसमें सूक्ष्म क्रियाओं को अर्थपूर्ण ढंग से समाहित किया जाता है।”

लिडग के अनुसार, “सामाजिक नीति सामाजिक जीवन के उन पहलुओं के रूप में मानी जाती है, जिसकी उतनी अधिक विशेषता

ऐसा विनिमय नहीं होता है, जिसमें एक पाउण्ड की प्राप्ति उसके बदले में किसी चीज को देते हुए की जाती है, जितना कि एक पक्षीय स्थानांतरण जिन्हें प्रस्थिति, वैधता, अस्मिता या समुदाय के नाम पर उचित ठहराया जाता है।”

सामाजिक नीति के लक्ष्य एवं कार्य

- वर्तमान कानूनों को अधिक प्रभावी बनाकर सामाजिक नियोग्यताओं को दूर करना।
- जन सहयोग एवं संस्थागत सेवाओं के माध्यम से आर्थिक नियोग्यताओं को कम करना।
- बाधितों को पुनर्स्थापित करना।
- पीड़ित मानवता के दुःखों एवं कष्टों को कम करना।
- सुधारात्मक तथा सुरक्षात्मक प्रयासों में वृद्धि करना।
- शिक्षा-दीक्षा की समुचित व्यवस्था करना।
- जीवन स्तर में असमानताओं को कम करना।
- व्यक्तित्व के विकास के अवसरों को उपलब्ध कराना।
- स्वास्थ्य तथा पोषण स्तर को ऊँचा उठाना।
- सभी क्षेत्रों में संगठित रोजगार का विस्तार करना।
- परिवार कल्याण सेवाओं में वृद्धि करना।
- निर्बल वर्ग के व्यक्तियों को विशेष संरक्षण प्रदान करना।
- उचित कार्य की शर्तों एवं परिस्थितियों का आश्वासन दिलाना।
- कार्य से होने वाले लाभों का साम्यपूर्ण वितरण सुनिश्चित करना।

भारत सरकार ने सामाजिक नीति तथा नियोजित विकास के उद्देश्यों का उल्लेख किया है—

- उन दशाओं का निर्माण करना, जिनसे सभी नागरिकों का जीवन स्तर ऊँचा उठ सके।

2. महिलाओं तथा पुरुषों दोनों को समान रूप से विकास और सेवा के पूर्ण एवं समान अवसर उपलब्ध कराना।

3. आधुनिक उत्पादन संरचना का विस्तार करने के साथ-साथ स्वास्थ्य, सफाई, आवास, शिक्षा तथा सामाजिक दशाओं में सुधार लाना।

सामाजिक नीति के क्षेत्र

सामाजिक नीति के तीन प्रमुख क्षेत्र हैं, जिनके कार्यों को समुचित निदेषन देना तथा उन्हें पूरा करना आवश्यक समझा जाता है—

सामाजिक कार्यक्रम तथा उनसे सम्बन्धित कार्य

1. समाज सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, पोषण, आवास इत्यादि की लगातार वृद्धि एवं सुधार करना।
2. निर्बल वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण तथा उनके सामाजिक-आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना।
3. स्थानीय स्तर पर पूरक कल्याण सेवाओं के विकास के लिए नीति निर्धारित करना।
4. समाज सुधार के लिए नीति प्रतिपादित करना।
5. सामाजिक सुरक्षा के लिये नीति बनाना।
6. सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाना, आय तथा धन के असमान वितरण में कमी लाना, आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण पर रोक लगाना तथा समान अवसर उपलब्ध कराने के लिये प्रयास करना।

समुदाय के विभिन्न वर्गों से सम्बन्धित सामाजिक नीति

प्रत्येक ऐसे समुदाय में जहाँ औद्योगीकरण तथा आधुनिकीकरण तीव्र गति से होता है, दो वर्गों का अभ्युदय स्वाभाविक है। एक वर्ग ऐसा होता है जो उत्पन्न हुए नये अवसरों से पूरा लाभ उठाता है। उदाहरण के लिये, उद्योगपति, बड़े-बड़े व्यवसायी, प्रबन्धक तथा बड़े कृषक। दूसरा वर्ग वह होता है, जो जीवन की मुख्य धारा से अलग होता है और जिसे वर्तमान योजनाओं के लाभ नहीं मिल पाते।

उदाहरण के लिये, भूमिहीन खेतिहर मजदूर, जनजातियों के सदस्य, मलिन बस्तियों के निवासी, असंगठित उद्योगों में लगे हुए मजदूर इत्यादि।

सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण समाज के विभिन्न वर्गों से सम्बन्धित सामाजिक नीति

प्रत्येक समाज के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण वर्ग होते हैं, जिनका कल्याण आवश्यक माना जाता है। उदाहरण के लिये, कम आयु के बच्चे, विद्यालय का लाभ न उठा पाने वाले बच्चे, अध्ययन के दौरान ही कुछ अपरिहार्य कारणों से विद्यालय को छोड़कर चले जाने वाले बच्चे तथा नौजवान।

सामाजिक नीति का उद्देश्य

सामान्य रूप से सामाजिक नीति का उद्देश्य ग्रामीण तथा नगरीय, धनी तथा निर्धन, समाज के सभी वर्गों को अपना जीवन-स्तर ऊँचा उठाने के अवसर प्रदान करना तथा विभिन्न गम्भीर सामाजिक

समस्याओं का समुचित निदान करते हुए उनका निराकरण करना है, ताकि किसी भी वर्ग के साथ अन्याय न हो।

त्रिलोक सिंह का मत है, “सामाजिक नीति का मूल उद्देश्य ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना होना चाहिए, जिनमें प्रत्येक क्षेत्र, नगरीय अथवा ग्रामीण तथा अपनी विशिष्ट एवं पहचानी जाने योग्य समस्याओं सहित प्रत्येक समूह अपने को ऊपर उठाने, अपनी सीमाओं को नियंत्रित करने तथा अपनी आवासीय स्थितियों एवं आर्थिक अवसरों को उन्नत बनाने और इस प्रकार समाज सेवाओं के मौलिक अंग बनने में समर्थ हो सके।”

सामाजिक नीति से सम्बन्धित प्रमुख कारक

1. विकास स्वयं में एक प्रक्रिया है। यह सतत चलने वाली सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के एक इच्छित दिशा में निर्देशित किये जाने पर प्रारम्भ होती है। यह आवश्यक अभिवृद्धि एवं सामाजिक प्रगति दोनों के लिये आवश्यक है। सामाजिक परिवर्तन की मूलभूत प्रक्रिया पर आधारित होने के कारण विकास की प्रक्रिया का सही दिशा निदेशन आवश्यक है।

2. विकास के सिद्धान्तों को समाज की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपनाया जाना चाहिये। किसी भी विकासशील अथवा विकसित देश को किसी अन्य देश की परिस्थितियों में सफल सिद्ध हुई विकास की पद्धतियों एवं उपकरणों का अध्यानुकरण नहीं करना चाहिये।

3. सामाजिक नीति के निर्धारण तथा कार्यान्वयन में जन सहभागिता, विशेष रूप से युवा सहभागिता आवश्यक होती है क्योंकि ऐसी स्थिति में जो भी योजनायें एवं कार्यक्रम बनाये जाते हैं, उनके प्रति लोगों का लगाव होता है और वे इनकी सफलता के लिये तन, मन और धन से अपना अधिक से अधिक योगदान देते हैं।

सामाजिक नीति में मूल्य एवं विचारधारा

क्योंकि सामाजिक नीति का प्रमुख उद्देश्य लोगों को सामाजिक न्याय दिलाते हुए चौमुखी सामाजिक-आर्थिक विकास करना है, इसलिए इसे प्रभावपूर्ण बनाने की दृष्टि से सामाजिक नीति में मानवीय मूल्यों एवं वैचारिकी का होना आवश्यक है, जिसे निम्न बिन्दुओं के आधार पर समझा जा सकता है—

1. किसी भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में राज्य को अपना कल्याणकारी रूप परावर्तित करने के लिये इसके माध्यम से सामाजिक नीति का निर्माण करना होगा।

2. सामाजिक नीति के समुचित प्रतिपादन हेतु आवश्यक तथ्यों का संग्रह करने के लिए सामाजिक सर्वेक्षण तथा मूल्यांकन को समुचित महत्व प्रदान करना होगा।

3. शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, मनोरंजन जैसी समाज सेवाओं तथा निर्बल एवं शोषण का सरलतापूर्वक शिकार बनने वाले वर्गों के लिये अपेक्षित सेवाओं के बीच आवश्यक संतुलन स्थापित करना होगा ताकि समाज का समुचित विकास सम्भव हो सके।

सामाजिक नीति और प्रशासन : एक परिचय / 3

4. राज्य को समाज सेवियों एवं समाज कार्यकर्ताओं के प्रति अपने वर्तमान सौतेले व्यवहार को बदलते हुए उन्हें इच्छित सामाजिक स्वीकृति प्रदान करनी होगी।

5. राज्य को समाज कल्याण प्रशासन के क्षेत्र में समाज कार्यकर्ताओं तथा अवैतनिक समाज-सेवकों को उचित एवं सम्मानजनक स्थान देना होगा।

6. राज्य को सामाजिक परिवर्तन की अनवरत प्रक्रिया के कारण सामाजिक परिस्थितियों में होने वाले निरन्तर परिवर्तन की पृष्ठभूमि में सभी समाज-सेवियों, समाज कार्यकर्ताओं, अधिकारियों तथा संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी होगी।

7. सामाजिक नीति का निर्धारण इस बात को ध्यान रखकर करना होगा कि आर्थिक दशाओं में सुधार तभी हो सकता है, जबकि सामाजिक दशाओं में वांछित परिवर्तन लाया जाये।

सामाजिक नीति के प्रारूप

1. **कल्याणकारी प्रारूप**—समाज कल्याण प्रारूप से तात्पर्य सामाजिक विकास हेतु बनायी गयी उन रणनीतियों से है, जिसके अन्तर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा परिलक्षित होती है। कल्याणकारी राज्य से आशय ऐसे राज्य से है, जो समाज के प्रत्येक व्यक्ति समूह, समुदाय एवं एक व्यापक समाज प्रजाति, जाति, धर्म सभी के विकास हेतु वचनबद्ध है। कल्याणकारी राज्य समाज के सभी वर्गों के विकास की बात करता है। खासकर उन लोगों के लिए विशेष सुविधायें प्रदान करता है, जो किसी भी समस्या से ग्रसित होते हैं।

2. **सामाजिक सुरक्षा प्रारूप**—समाज के द्वारा ऐसी सुरक्षा व कानून प्रदान किये जा सके, जिससे समाज में रहने वाले लोगों को सुरक्षा प्रदान की जा सके। सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत सामाजिक नीतियाँ इस प्रकार बनायी जायेंगी, ताकि समाज के प्रत्येक वर्ग की सुरक्षा हो सके। समाज में उत्पन्न समस्याओं के समाधान का इस प्रकार प्रारूप तैयार किया जायेगा, ताकि उन समस्त समस्याओं का निदान किया जा सके। व्यक्ति, समूह, समुदाय किसी में भी यदि असंतुलन उत्पन्न होता है, तो समाज में खतरा उत्पन्न होता है। सामाजिक सुरक्षा में लोगों के विकास हेतु विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलायी जाती हैं, जैसे—बीमा, विभिन्न प्रकार के अधिनियम, कानून आदि।

3. **उदारीकरण प्रारूप**—इस प्रकार के प्रारूप में ऐसी नीतियाँ बनायी जाती हैं कि समाज में प्रत्येक वर्ग के लोग राज्य के द्वारा चलाये गये कार्यक्रमों में प्रदान किये गये साधनों में सम्पूर्ण रूप से अपनी भागीदारी निभा सके, क्योंकि समाज सामाजिक सम्बन्धों का जाल है, जिसका निर्माण सामान्यतः चेतना पर आधारित है। समानता की चेतना ही परस्पर सहभागिता की आधारशिला है। उदारीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके तहत सरकार अपनी नीतियों को इस प्रकार से लागू करती है। कि लोगों के कार्य व्यवसाय इत्यादि करने

में कठिनाई न आये अर्थात् एक व्यक्ति आसानी से एक देश से दूसरे देश में अपने व्यवसाय को कर सकता है। अतः वस्तुओं का क्रय-विक्रय एक देश से दूसरे देश में आसान हो जाता है। यह प्रक्रिया सार्वभौमिकीकरण एवं निजीकरण को बढ़ावा देती है। सामान्यतः यह प्रारूप व्यक्तियों के व्यक्तिगत सामुदायिक हितों को पूरा करने हेतु नीतियाँ बनाता है।

4. **प्रजातान्त्रिक प्रारूप**—इस प्रारूप के तहत नीतियाँ इस प्रकार से बनायी जाती हैं कि उन नीतियों का लाभ राज्य के सम्पूर्ण लोगों को समूहों समुदायों में मिल सके अर्थात् लोकतान्त्रिक प्रारूप के तहत नीतियाँ इस प्रकार बनायी जाती हैं, जिसके तहत कोई व्यक्ति कानून के दायरे में रहकर अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सके। यदि को किसी प्रकार की बाधाओं से ग्रसित है, तो उन बाधाओं को दूर कर उसका विकास किया जाता है।

प्रशासन

‘लोक प्रशासन’ दो शब्दों ‘लोक’ एवं ‘प्रशासन’ से निर्मित है जिसमें ‘लोक’ विशेषण (Adjective) का कार्य करता है तथा ‘प्रशासन’ संज्ञा (Noun) है। लोक प्रशासन के अर्थ को समझने से पूर्व इन दोनों शब्दों का पृथक् पृथक् अर्थ समझ लेना आवश्यक है। सर्वप्रथम संज्ञा के रूप में प्रयुक्त ‘प्रशासन’ शब्द का अर्थ समझ लेना अधिक उपयुक्त होगा। ‘प्रशासन’ शब्द मूल रूप से संस्कृत भाषा का शब्द है जो कि ‘प्र’ उपसर्ग + ‘शास’ धातु से निर्मित है तथा इसका तात्पर्य है उत्कृष्ट (Excellent) रीति से शासन संचालित करना। प्रशासन के लिये अंग्रेजी में ‘एडमिनिस्ट्रेशन’ शब्द का प्रयोग किया जाता है।

‘एडमिनिस्ट्रेशन’ शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों ‘एड’ (Ad) तथा ‘मिनिस्ट्रेट’ (Ministrate) से हुई है जिसका अर्थ सेवा सम्बन्धी कार्यों को करने से है। वस्तुतः ‘प्रशासन’ में शासन व सेवा दोनों का ही भाव निहित है।

सामान्यतया प्रशासन को विभिन्न सन्दर्भों के आधार पर निम्नलिखित चार अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है—

1. मंत्रिमण्डल शब्द के पर्यायवाची के रूप में अर्थात् नेहरू-प्रशासन, इन्दिरा-प्रशासन, बुश-प्रशासन आदि।
2. सामाजिक विज्ञान की एक शाखा के रूप में।
3. सार्वजनिक नीतियों की क्रियान्विति हेतु प्रयुक्त की जाने वाली क्रियाओं के योग के रूप में।
4. प्रबन्ध की कला के रूप में।

इन चारों अर्थों में साम्यता स्थापित न हो पाने के कारण प्रशासन की एक सर्वमान्य परिभाषा दे पाना एक कठिन कार्य रहा है।

सामाजिक नीति के सिद्धान्त

सावधवी एकात्मकता

जहाँ यांत्रिक एकात्मकता सरल समाजों की विशेषता है, वहीं सावधवी एकात्मकता जटिल समाजों का लक्षण है।

दुर्खाइम ने जटिल समाजों का अध्ययन किया। जटिलता का अर्थ है—कई प्रकार के व्यक्तियों का होना। बढ़ई, लुहार, नाई, प्रकाशक, डॉक्टर, वकील इत्यादि कई प्रकार के व्यक्ति होते हैं। इन सारी असमानताओं के बीच एकात्मकता कैसे हो? यह प्रश्न भिन्न प्रकार का है। यांत्रिक एकात्मकता समानता पर आधारित है। विभिन्नता पर आधारित एकात्मकता “सावयवी एकात्मकता” (Organic Solidarity) बताई गई है। अवयव का अर्थ शरीर व उसके अंगों से है। हमारे शरीर के अंग असमान हैं—हाथ, आँख, नाक में भिन्नता है। वस्तुओं को उठाना, देखना या वास लेना उनके अलग-अलग कार्य हैं। इसी प्रकार फेफड़े, पेट व दिल विभिन्न अंग (अवयव हैं)। इन सबके अलग होने पर भी संपूर्ण शरीर की अपनी ही एकात्मकता है। सभी अंग अपना-अपना काम करते हैं। ये काम अलग-अलग हैं और इसी प्रकार शरीर की एकात्मकता इन विभिन्नताओं के बीच है। ऐसी तुलना करने पर इसे सावयवी एकात्मकता कहा गया है। अगर हम यह मान लें कि समाज भी एक अवयव (शरीर) की भाँति है और विभिन्न प्रकार के व्यक्ति उसके अंग हैं, तब समाज की सावयवी एकात्मकता की कल्पना भी की जा सकती है। यह एकात्मकता विभिन्नता पर आधारित है और इससे व्यक्ति समझता है कि वह स्वयं में पूर्ण नहीं है, पूर्णता तो समाज में है। इस पूर्णता का आधार श्रम-विभाजन और विभाजित कार्यों का समायोजन है।

समानता का सिद्धांत

समानता का सिद्धांत सबसे पहले समाजिक असमानताओं के विरुद्ध विद्रोह के रूप में सामने आया था। जिन देशों में जाति-प्रथा, गुलामी की प्रथा प्रचलित थी, वहाँ समाज के दलित वर्गों तथा विचारशील लोगों ने इन कुरीतियों के विरुद्ध आवाज बुलंद की थी। जैसे भारत में कबीर, दादू और नानक ने इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए काम किया। उन्होंने कहा कि मनुष्य-मनुष्य में भेद करना पाप है। आज भी कई देशों में गोरे-काले या अमीर-गरीब के बीच भेद-भाव विद्यमान हैं। जैसे इंग्लैंड में केवल गोरे ही रहेंगे। अफ्रीका में केवल काले ही रहेंगे। कभी-कभी इस गोरे-काले के सवाल पर दंगे-फसाद भी हो जाते हैं, जो मानव-सभ्यता के लिए अच्छी चीज नहीं है। मानव-सभ्यता का तकाजा तो होना चाहिए कि नागरिकों के साथ केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग व जन्म-स्थान के आधार पर किसी प्रकार का पक्षपात व भेद-भाव नहीं होना चाहिए। भारत में भी छुआछूत जैसी बीमारी आज भी विद्यमान है, जिसको समाप्त करना चाहिए।

अतः सामाजिक समानता के लिए जाति, वंश, धर्म, लिंग, जन्म-स्थान, काले, गोरे, अमीर, गरीब, स्त्री-पुरुष आदि के आधार पर भेदभाव व पक्षपात जैसी कुव्यवस्था का अंत करना होगा, ताकि सभी नागरिक समाज में सम्मान के भाव से जिंदगी को जी सकें। सामाजिक समानता में विशेष अवसर व सुविधाएँ किसी वर्ग-विशेष के सभी सदस्यों को उपलब्ध हों, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं। बार्कर ने कहा है कि सामाजिक असमानताओं को उदार शिक्षा के माध्यम से दूर किया जा सकता है, किंतु सामाजिक दृष्टि से पिछड़े

लोगों को उन्नत बनाने के लिए उनके आर्थिक विकास पर बल देना भी बहुत आवश्यक है।

बोध प्रश्न

प्रश्न 1. सामाजिक नीति का अर्थ एवं परिभाषा बताइए।

उत्तर—अर्थ एवं परिभाषा—सामाजिक नीति का अर्थ समाज के सभी सदस्यों के व्यक्तिगत और सामूहिक हितों में सामंजस्य स्थापित करना होता है। यह वह माध्यम है, जिसके जरिए समाज के सभी सदस्यों का हितवर्धन होता है। यह सामाजिक संरचना में विद्यमान कमियों का पहचानने, उन्हें दूर करने का प्रयास करती है। विभिन्न असमानता उत्पन्न करने वाले तत्वों को कम दूर करने का प्रयास करती है। इसके जरिए कल्याण सुनिश्चित किया जाता है। यह सार्वजनिक नीति का ही भाग होती है, परन्तु मुख्यतः सामाजिक सरोकारों से संबंध रखती है। यह नीति निर्माण के केंद्र में लोगों को लाने का माध्यम है। यह सामाजिक विकास और सामाजिक न्याय के साथ जुड़ी हुई अवधारणा है।

यह अपने मूल रूप में लोगों के बीच समता स्थापित करने का प्रयास करती है। वंचित समूहों और हशिए पर रह रहे वर्गों को समाज की मुख्यधारा में लाने का उद्देश्य रखती है। यह सरकारों और विभिन्न संस्थाओं/प्रयासों को लोगों के कल्याण का प्रभावी माध्यम बनाने का प्रयास करती है ताकि उनमें जनता का विश्वास मजबूत हो सके। यह विभिन्न आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक इत्यादि नीतियों के नकारात्मक प्रभावों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने का माध्यम भी है।

सामाजिक नीति की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं दी जा सकती है। अनेक विद्वानों और समूहों ने इसे विभिन्न दृष्टिकोणों से परिभाषित करने का प्रयास किया है।

ऐतिहासिक रूप से सामाजिक नीति का संबंध पुनर्वितरण नियंत्रण एवं सामाजिक अधिकारों से रहा है। यह सरकारों और अन्य संस्थानों द्वारा मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के सार्थक हस्तक्षेप से संबंधित है। अतः इसका क्षेत्र अर्थव्यवस्था, समाज और नीति तीनों में है। इसमें भ्रांत धारणाओं (प्रज्यूडिस), विभेद (डिसक्रीमिनेशन), वंचना इत्यादि से लड़ना और सशक्तिकरण की अवधारणा पर जोर देना भी शामिल है।

पी.डी. कुलकर्णी के अनुसार, “सामाजिक नीति घोषित सामाजिक उद्देश्यों को क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त करने में सहायक साधनों और पद्धतियों की कार्य रणनीति है।”

सामाजिक प्रशासन के प्रथम प्रोफेसर रिचर्ड टिटमस के अनुसार, “सामाजिक नीति का संबंध सामाजिक आवश्यकताओं और उसकी प्रक्रियाओं के विस्तार के अध्ययन से है। इन आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं का अध्ययन सामाजिक सेवाओं या सामाजिक कल्याण व्यवस्था रूपी मानवीय संगठनों की अल्पता के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक सेवाओं की पूर्ति करने से है।